

बिहार सरकार
ग्रामीण कार्य विभाग

अधिसूचना

अधिसूचना संख्या:- 2/अ0प्र0-1-99/2022 1784 /पटना, दिनांक :- 16.8.23

औरंगाबाद जिला अंतर्गत प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के तहत विभिन्न पथों के Ongoing/Maintenance कार्यों की राज्य गुणवत्ता समन्वयक, ग्रामीण कार्य विभाग के पत्रांक 643 दिनांक 12.12.2022 के माध्यम से प्राप्त जॉच प्रतिवेदन के आलोक में निर्माणाधीन योजनाओं में पाई गई त्रुटियों/अनियमितता तथा अनुरक्षणाधीन पथों में अपेक्षित अनुरक्षण कार्य नहीं कराये जाने के कारण इन पथों को असंतोषजनक श्रेणी प्रदान किये जाने संबंधी आरोपों पर श्री बिपिन बिहारी सिंह, तदेन सहायक अभियंता, ग्रामीण कार्य विभाग, कार्य प्रमंडल औरंगाबाद को विभागीय पत्रांक 2167 दिनांक 19.12.2022 द्वारा स्पष्टीकरण समर्पित करने का निदेश दिया गया परन्तु श्री सिंह द्वारा इस संबंध में ससमय अपना स्पष्टीकरण समर्पित नहीं किया गया।

2. जॉच प्रतिवेदन में इंगित त्रुटियों/अनियमितता से स्पष्ट हुआ कि कार्य के पर्यवेक्षण में गंभीर लापरवाही बरती गई है। अतएव मामले की समीक्षोपरान्त उक्त अनियमितता के लिए श्री बिपिन बिहारी सिंह, सहायक अभियंता को प्रथम दृष्टया दोषी मानते हुए उनके विरुद्ध अग्रेतर अनुशासनिक कार्रवाई करने का निर्णय लिया गया। इसी क्रम में विभागीय अधिसूचना सं0 111-सहपठित ज्ञापांक- 112 दिनांक 11.01.2023 द्वारा श्री सिंह को बिहार सरकारी सेवक (वर्गीकरण, नियंत्रण एवं अपील) नियमावली, 2005 के नियम 9(1)(क) के तहत निलंबित करते हुए उनका मुख्यालय अभियंता प्रमुख का कार्यालय, ग्रामीण कार्य विभाग, बिहार, पटना का कार्यालय निर्धारित किया गया।

3. श्री सिंह के विरुद्ध कार्य प्रमंडल औरंगाबाद अंतर्गत अंतर्गत दो योजनाओं (i) Construction of Bridge over Ramrekha River (BR02R832) एवं (ii) T11-Sris More to Nabinagar (BR02P3R09), के निर्माण कार्य में अनियमितता एवं अनुरक्षणाधीन चार पथों (i) L134-L065 T01-Tengo Road to Sonbarsa (Track-134) (BR02R549) (ii) ML02-L027 to Charan Kalan (BR02P2R03) (iii) L120-L034 Saliaa PMGSY Road To Bairwa Loknath (Track 120) एवं (iv) L127-To4 Nabinagar Barum Road to Khadha (Track-127) (BR02R538) का गुणवत्ता श्रेणी असंतोषजनक (U) पाये जाने संबंधी आरोपों पर आरोप पत्र गठित कर बिहार सरकारी सेवक (वर्गीकरण, नियंत्रण एवं अपील) नियमावली, 2005 के नियम 17 के तहत अधिसूचना सं0 209 सह-पठित ज्ञापांक 210 दिनांक 18.01.2023 द्वारा विभागीय कार्यवाही संचालित की गई। इसके निमित्त मुख्य अभियंता-1, ग्रामीण कार्य विभाग, बिहार, पटना को संचालन पदाधिकारी एवं श्री अजीत कुमार, सहायक अभियंता, मुख्य अभियंता-1 का कार्यालय, ग्रामीण कार्य विभाग को प्रस्तुतीकरण पदाधिकारी नियुक्त किया गया।

4. संचालन पदाधिकारी द्वारा पत्रांक 1585 दिनांक 02.06.2023 के माध्यम से उक्त विभागीय कार्यवाही का जॉच प्रतिवेदन समर्पित किया गया जिसमें श्री बिपिन बिहारी सिंह, सहायक अभियंता के विरुद्ध गठित सभी आरोपों को अप्रमाणित पाये जाने का निष्कर्ष अंकित किया गया। संचालन पदाधिकारी द्वारा Construction of Bridge over Ramrekha River (BR02R832) के संबंध में यह मंतव्य दिया गया कि संबंधित कार्य आरोपी के प्रभार ग्रहण करने से पूर्व कराया गया था। निर्माण संबंधित किसी कार्य का मापीपुस्तिका का सत्यापन आरोपी द्वारा नहीं किया गया है। प्रभार ग्रहण के उपरान्त त्रुटिपूर्ण कार्य सुधारने हेतु उनके द्वारा संवेदक को पत्र निर्गत

किया गया है। T11-Sris More to Nabinagar (BR02P3R09) के संबंध में संचालन पदाधिकारी द्वारा यह मंतव्य दिया गया है कि आरोपित पदाधिकारी ने अपने स्पष्टीकरण के साथ SQM report एवं क्षेत्रीय प्रयोगशाला, गया के जाँच report को संलग्न किया है जिसमें Stone metal का Gradation एवं Filler material की मात्रा मानक के अनुरूप पाया गया है। कार्य को सुधारने के उपरान्त क्षेत्रीय प्रयोगशाला, गया द्वारा निर्गत जाँच प्रतिवेदन भी उपलब्ध कराया है जिसे Stone metal Gr- III का report Acceptable एवं Filler material Acceptable अंकित है। NQM report को भी संलग्न किया है जिसमें विभिन्न चैनेजों पर WBM Gr-III metal का Gradation एवं Filler material की मात्रा को यथोचित पाया गया है। 04 पथों की गुणवत्ता श्रेणी असंतोषजनक (U) पाये जाने के संबंध में संचालन पदाधिकारी का मंतव्य है कि उक्त पथ पंचवर्षीय अनुरक्षण अवधि के तीसरे वर्ष में था। अनुरक्षण अवधि अन्तर्गत पथों में अनुरक्षण कार्य हेतु निरीक्षण के उपरान्त संवेदक को कार्य का निदेश दिया गया है। निदेशों के अनुपालन में संवेदक द्वारा अनुरक्षण कार्य को कराया गया है। साक्ष्य स्वरूप सम्पादित कार्यों का Geotag Photographs संलग्न किया है। इन योजनाओं में पूर्व से SQM द्वारा अनुरक्षण कार्य की जाँच की गई है एवं निरीक्षण में कार्य संतुष्ट पाये गये। अनुरक्षण मद में आरोपी द्वारा भुगतान की अनुशंसा नहीं की गई है।

5. संचालन पदाधिकारी से प्राप्त उक्त जाँच प्रतिवेदन की विभागीय समीक्षा की गई। समीक्षोपरान्त संचालन पदाधिकारी के मंतव्य से सहमत होते हुए श्री सिंह को प्रश्नगत आरोप से मुक्त करने का निर्णय अनुशासनिक प्राधिकार द्वारा लिया गया है।

6. अतः उपर्युक्त परिप्रेक्ष्य में श्री बिपिन बिहारी सिंह, तदेन सहायक अभियंता, ग्रामीण कार्य विभाग, कार्य प्रमंडल औरंगाबाद को प्रश्नगत मामले में आरोप मुक्त करते हुए उनके विरुद्ध संचालित विभागीय कार्यवाही को समाप्त किया जाता है एवं उन्हें तत्काल प्रभाव से निलंबन मुक्त किया जाता है।

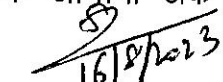
बिहार राज्यपाल के आदेश से


(संजय दूबे)
विशेष सचिव

ज्ञापांक :- 2/अ०प्र०-1-99/22 1785

/पटना, दिनांक:- 16-8-23

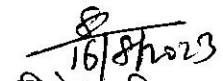
प्रतिलिपि :- अवर सचिव, ई-गजट कोषांग, वित्त विभाग, बिहार, पटना को दो प्रतियों में हार्ड कॉपी एवं सी.डी के साथ सूचनार्थ एवं बिहार राजपत्र के आगामी अंक में प्रकाशनार्थ प्रेषित।


विशेष सचिव

ज्ञापांक :- 2/अ०प्र०-1-99/22 1785

/पटना, दिनांक:- 16-8-23

प्रतिलिपि:- महालेखाकार, बिहार, वीरचन्द्र पटेल पथ, पटना/वित्त (वैयक्तिक दावा निर्धारण कोषांग) विभाग, बिहार, पटना/ कोषागार पदाधिकारी, सचिवालय कोषागार, निर्माण भवन, बेली रोड, पटना/जिला कोषागार पदाधिकारी, औरंगाबाद को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।


विशेष सचिव

ज्ञापांक:- 2/अ०प्र०-1-99/22

1785

/पटना/दिनांक:- 16-8-23

प्रतिलिपि:- प्रधान सचिव/सचिव, जल संसाधन विभाग/पथ निर्माण विभाग/भवन निर्माण विभाग/योजना एवं विकास विभाग/ग्रामीण विकास विभाग/ग्रामीण कार्य विभाग/बिहार, पटना/अभियंता प्रमुख, ग्रामीण कार्य विभाग, बिहार, पटना/ सभी मुख्य अभियंता, ग्रामीण कार्य विभाग, बिहार, पटना/ संयुक्त सचिव (प्रभारी लेखा शाखा), ग्रामीण कार्य विभाग, बिहार, पटना/अधीक्षण अभियंता, ग्रामीण कार्य विभाग, कार्य अंचल, औरंगाबाद/कार्यपालक अभियंता, ग्रामीण कार्य विभाग, कार्य प्रमंडल, औरंगाबाद/दाउदनगर/प्रशाखा पदाधिकारी-5/प्रशाखा पदाधिकारी-12, ग्रामीण कार्य विभाग, बिहार, पटना/ श्री बिपिन बिहारी सिंह, सहायक अभियंता, अभियंता प्रमुख का कार्यालय, ग्रामीण कार्य विभाग, बिहार, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

16/8/23

विशेष सचिव

ज्ञापांक :- 2/अ०प्र०-1-99/22

1785

/पटना/दिनांक:- 16-8-23

प्रतिलिपि :- माननीय उप मुख्य (ग्रामीण कार्य) मंत्री के आप्त सचिव, बिहार, पटना को सूचनार्थ प्रेषित।

16/8/2023

विशेष सचिव

ज्ञापांक :- 2/अ०प्र०-1-99/22

1785

/पटना/दिनांक:- 16-8-23

प्रतिलिपि :- आई०टी० मैनेजर, ग्रामीण कार्य विभाग, बिहार, पटना को विभागीय वेबसाइट पर अपलोड करने हेतु प्रेषित।

16/8/2023

विशेष सचिव